मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

क्रमांक 2067 / 35–एफ / पी.एच.ई. / 80 भोपाल दिनांक 29 मई 80

प्रति

1. प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग म.प्र. भोपाल।
2. मुख्य अभियंता (पूर्वी / पश्चिमी परिक्षेत्र) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म.प्र. भोपाल।
3. समसत अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंडल म.प्र.
4. समस्त कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड म.प्र.

मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्ते नियम, 1980 से संबंधित अधिसूचना क्रमांक 2035 / 35–एक / पी.एव.ई. / दिनांक 27.5.80 (हिन्दी / अंग्रेजी) की एक–एक प्रति उसके साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

आर.बी.एल. श्रीवास्तव
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वासथ्य यांत्रिकी विभाग

वृ क्र. 206835 –एक / 80 / पी.एच.ई भोपाल दिनांक 29 मई 80

प्रतिलिपि :–

म.प्र. अधिसूचना क्रमांक 2035 / 35–एफ / पी.एच.ई. / 80 भोपाल दिनांक 27.05.80 (अंग्रेजी / हिन्दी) की एक एक प्रति सचिव, नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा सेवन सामग्री म.प्र. भोपाल की ओर भेजकर निवेदन है कि इसे म.प्र. राजपत्र में पकाशित करने की कृपा करे तथा उसकी 300 प्रिन्टेड प्रतिया इस विभाग को भेजने की कृपा करें।

आर.बी.एल. श्रीवास्तव
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वासथ्य यांत्रिकी विभाग

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

भोपाल दिनांक 02.05.80

क्रमांक 2035 / 35–पी.एच.ई. / एक – भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्य प्रदेश के राज्यपाल, एतद द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों का विनिमयन करने के लिए निम्नलिखित बनाते है,
अर्थात् –

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ –
ये नियम मध्य प्रदेश लोकस्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवाशर्तें नियम, 1980 कहलायेंगे।
ये नियम 1 जनवरी 1974 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2 परिभाषायें –

इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) नियुक्ति प्राधिकारी से अभिप्रेत है, अनुसूची के कालम 5 में यथा विनिर्दिष्ठ प्राधिकारी।

(ख) आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी से अभिप्रेत है, ऐसे कर्मचारियों को अपवर्जित करते हुए जो कि वर्ष में कतिपय कालावधियों के लिए ही नियुक्त किये जाते हैं। किसी कार्यालय या स्थापना में पूर्ण काल के लिए नियुक्त व्यक्ति और जिसे मासिक आधार पर भुगतान किया जाता हो तथा जिसका वेतन कार्यालय आकस्मिकता पर प्रभारित किया जाता है।

(ग) कर्मचारी से अभिप्रेत है कार्यभारित कर्मचारी या आकस्मिकता से वेतन पाने वाला कर्मचारी।

(घ) शासन से अभिप्रेत है, मध्य प्रदेश राज्य का शासन

(घ.1) अनुसूचित जाति का सदस्य से अभिप्रेत है किसी जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा किसी जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या किसी जाति, मूलवंश या जनजाति के भीतर के समूह का जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ठ किया गया हो, सदस्य।

(घ.2) अनुसूचित जनजाति का सदस्य से अभिप्रेत है किसी जनजाति, जनजाति समुदाय अथवा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या किसी जनजाति

जो इन नियमों के प्रारम्भ के पश्चात् इन नियमों के संदर्भों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए हों।
पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर।

5. वर्गीकरण, पद संख्या आदिः–

सेववा का वर्गीकरण तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या अनुसूची में अंतर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार होगी।

6. प्रवर्गीकरण

1. कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी, इन नियमों के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित दो प्रवर्गों में विभक्ति किये जावेंगे।

   एक – स्थायी , दो – अस्थायी

2. वह कर्मचारीः–

   क. जिसने 1 जनवरी 1974 की ऐसी सेवा पूरी कर लीथी जो पन्द्रह वर्ष से कम न हो।

   ख. जो उक्त तारीख के पूर्व नियुक्त किया गया हो, किन्तु जिसने 1 जनवरी 1974 को पन्द्रह वर्ष की सेवा पूरी नहीं की थी।

   ग. जो उक्त तारीख के पश्चात नियुक्ति किया गया हो,

उपरोक्त (क) की स्थिति में 1 जनवरी 1974 और (ख) तथा (ग) की स्थिति में पन्द्रह वर्ष की सेवा पूरी होने पर स्थायी कार्यभारित या आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी की प्रास्थिति के लिए पात्र होगा।

7. भरती तथा पदोन्नती :–

1. अनुसूची में विनिर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी के अधीन स्थापना, भरती, ज्येष्ठा तथा पदोन्नती को सम्मिलित करते हुए समस्त प्रयोजनों के लिए एक इकाई गठित करेगी।
2. कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति निम्नलिखित तरीकों में से किसी एक या ऐसे अधिक तरीकों से जो कि विहित किये जावे, की जाएगी, अर्थात् :–

   एक – सीधी भरती द्वारा

   दो – पदोन्नती द्वारा

   तीन – स्थानान्तर द्वारा

2क. प्रत्येक जिलों में एक समिति गठित की जावेगी। जिसमें निम्नलिखित होंगे :–

   क. संबंधित सर्किल के अधीक्षण यंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट एक राजपत्रित अधिकारी जो कार्यपालन यंत्री स्तर से कम का न हो ------ सभापति ।

   ख. यथास्थिति, जिला जनजाति कल्याण अधिकारी या जिला सेंग– संगठन जनजाति कल्याण --------- सदस्य ।

   ग. संबंधित जिला का रोजगार अधिकरी ---------- सदस्य।

2 ख. सेवा के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति उपनियम (2–क) के अधीन गठित समिति की सिफारिशों के अनुसार दी जाएगी।

2–ग इन नियमों में की कोई भी बात अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए तथा व्यक्तियों के अन्य विशेष प्रवर्गों के लिए राज्य सरकार द्वारा इस बारे में समय समय पर जारी किए आदेशों के

अनुसार उपरोक्त किये जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों की प्रभावितानहीं करेगी।

2 घ. सेवा के अधीन पदों में सीधी भरती संबंधित स्थापना द्वारा इस प्रयोजन के लिए मांग किये जाने पर रोजगार कार्यालय द्वारा प्रस्तुत की गई सूची में से की जावेगी। और जहां रोजगार कार्यालय में उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो वहां भरती विज्ञापन के जरिये आवेदन पत्र आमंत्रित करने के पश्चात की जावेगी।

2 ड. पदों को भरने के लिए शैक्षणिक अर्हताएं ऐसी होगी जो कि संस्थानी पदों पर राज्य सरकार के अधीन नियमित कर्मचारियों के लिए विहित है जहां तत्स्थानी पद हो, वहां अर्हताएं नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित की जावेगी।

2 च. जहां प्रशिक्षण के संबंध में अपेक्षित अर्हताएं रखने वाले उम्मीदवार उपलब्ध न हो वहां अप्रशिक्षित उम्मीदवारों की भरती इस शर्त के अध्यधीन रखते हुए की जा सकेगी। कि वे संबंधित स्थापना द्वारा इस संबंध में उपबंधित किये जाने वाले प्रशिक्षण के लिए अवसर का लाभ उठाने के पश्चात् विनिर्दिष्ठ कालावधि के भीतर स्वयं को आर्हित कर ले।

3– पदोन्नती ज्येष्टता व योग्यता के आधार पर की जाएगी।

<u>8 – प्रवेश करने वाले नवीन व्यक्तियों की आयु, शारीरिक योग्यता तथा अभिवार्षिकी की आयु :–</u>

(क) प्रवेश करने वाले नवीन व्यक्तियों की आयु तथा अधिवार्षिकी आयु और

(ख) सेवा के समस्त सदस्यों की अधिवार्षिकी की आयु। विषय में वे नियम तथा नीतियां लागू होंगी जो कि नियमित नियोजन में के समतुल्य वर्गों के शासकीय सेवकों की लागू है।

9 ज्येष्ठता सूची :–

पदोन्नती के साथ ही साथ छंटनी के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक प्रवर्ग में ज्येष्ठता सूची प्रत्येक ईकाई में या सम्पूर्ण राज्य के आधार पर जैसा कि शासन द्वारा विनिश्चय किया जाय, बनाये रखी जावेगी। जब कोई कर्मचारी शासकीय कार्य के हित में एक ईकाई में स्थानांतरित किया जाय तो यथास्थिति, पदोन्नती या छंटनी के विषय में मूल ईकाई में उसकी ज्येष्टता पर ध्यान दिया जावेगा।

10 सेवा अभिलेख :–

स्थायी या अस्थायी कर्मचारियों के समुचित सेवा अभिलेख, प्रत्येक ईकाई स्तर पर सम्यक रूप से सत्यापित किए जाकर उस रूप में रखे जावेंगे जिस में शासन के अराजपत्रित कर्मचारी वृन्द के सेवा अभिलेख देखे जाते हैं।

11 सेवा भरती संबंधी प्रमाण – प्त्र :–

उस मामले में जब कोई कर्मचारी छंटनी के परिणाम स्वस्थ या अपनी सेवा छोड़ दे तो उसे मांग की जाने पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक प्रमाण प्त्र निम्नलिखित रू‍प में दिया जावेगा, अर्थात् –

1. नाम
2. पिता का नाम / पति का नाम,
3. पहचान चिन्ह (यदि कोई हो)

4. ————————————————— से ————————————— तक कुल सेवा,
5. सेवा छोड़ते समय धारित नियुक्ति,
6. वेतनमान की दर (यदि कोई हो)
7. सेवा छोड़ने का कारण

कर्मचारी के हस्ताक्षर	नियुक्ति प्राधिकारी की मुद्रा
अंगूठे का निशान	तथा पदाधिमान

12.आचरण

मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के उपबंध सेवा के सदस्यों को लागू होंगे। परन्तु ये कि कदाचार में कर्मचारी की ओर से किये गये निम्नलिखित शर्त तथा लोप भी सम्मिलित होंगे अर्थात् —

क. शासन के कारबार या संस्था संबंध में चोरी, कपट या बेईमानी
ख. किसी वरिष्ठ के विधिपूर्ण या युक्ति युक्त आदेश की जानबूझकर अवमानना। चाहे वह अकेले द्वारा या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर की गई हो।
ग. शासकीय माल या सम्पत्ति का जानबूझकर नुकसान या हानि।
घ. रिश्वत या अवैध परसीमण लेना या देना।
च. बिना अवकाश के आकस्मिक अवकाश या बिना अवकाश के दस दिन से अधिक की अनुपस्थिति।
छ. आकस्मिक विलम्ब से उपस्थिति।
ज. स्थापना या विभाग में कार्य के घण्टों के दौरान कलवात्मक विश्रंखृल आचरण या ऐसा कोई कार्य जिसमें अनुशासन भंग होता है।
झ. आध्यसिक उपेक्षा या कार्य की उपेक्षा जिसके अंतर्गत कार्य के घण्टों के दौरान सोना जाता है।
ट. किसी कार्य की बार बार पुनरावृति या उसका लोप।
ठ. कार्य का पालन करने में जानबूझकर धीमी गति करना।
ड. स्थापना या विभाग की प्रक्रिया के संबंध में किसी अप्राधिकृत व्यक्ति को ऐसी कोई जानकारी प्रगट करना जो कि कर्मचारी को उसके कार्य के अनुक्रम में प्राप्त हो, उपबंधों का उल्लंघन करते हुए हड़ताल करना या अन्य व्यक्तियों की हड़ताल करने के लिए उद्दीप्त करना।
ढ. स्थापना या विभाग के परिसरों में जुआ, सट्टा खेलना।
ण. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के या ऐसे नियम के जो विधि का प्रभाव रखता हो, उपबंधों का उल्लंघन करते हुए हड़तल करना या अन्य व्यक्तियों को हड़ताल करने के लिए उद्दीप्त करना।
त. कार्य के घण्टों के दौरान मद्यपान करना या नशे की हालत में पाया जाना,
थ. राज्य की सुरक्षा के विरूद्ध कोई कार्य करना।

13 — शास्तियां :—

किसी कर्मचारी पर निम्नलिखित शास्तियां अच्छे तथा पर्याप्त कारणों से अधिरोपित की जा सकेगी अर्थात् —

1. परिनिन्दा
2. जुर्माना — जो कि एक समय में एक दिन की उपलब्धियों से अधिक न हो।

3. वेतन वृद्धियों या पदोन्नतियों का रोका जाना।
4. उपेक्षा से व्यय किसी विधि के भंग द्वारा शासन को उनके द्वारा पहुचाई गई पुनरावृति को पूर्णरूप से या उसके किसी भग के वेतन से वसूली
किसी एक समय में 14 दिन से अधिक कालावधि के लिए निलंबन (किसी) मजदूरी के लिए हकदार हुए बिना।

5. निम्नस्तर पदस्थ ग्रेड में पवनय किया जाना।
6. सेवा से हटाया जाना जो भावी नियोजन के लिए अनर्हता न होगी।
7. सेवा से पदच्युत किया जाना जो कि भावी नियोजन के लिए अनर्हता होगी।

14. शास्तियों का प्रतिरोपित करने के लिए प्रक्रिया :—

1. नियम 13 के खण्ड (छः) (सात) तथा (आठ) में विनिर्दिष्ठ की गई शास्तियों में से कोई भी शास्ति प्रतिरोपित करने वाला आदेश :—

(एक) कर्मचारी जो, उसे के विरूद्ध कार्यवाही के प्रस्ताव से तथा उन अभिकथनों की जिनके की आधार पर वह कार्यवाही की जाना ही प्रस्तावित है, लिखित में सूचना, जब ऐसे करना संभव हो, देने,

(दो) कर्मचारी की उसके विरूद्ध लगाये गये अभिकथनों के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करने का यथासाध्य शीघ्र अवसर देने,

(तीन) ऐसे स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् ही दिया जाएगा अन्यथा नहीं।

परन्तु यह और कि :

1. किसी भी व्यक्ति को, सक्षम प्राधिकारी के आदेश के बिना सेवा से पदच्युत नहीं किया जावेगा और
2. जहां विभागाध्यक्ष, राज्य की सुरक्षा के आधार पर किसी कर्मचारी की सेवा से हटाना आवश्यक समझे, वहां ऐसा करना आवश्यक नहीं होगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट लिखित आदेश कर्मचारी को परिदत्त किये जाने पर तत्काल प्रभावी होगा और कर्मचारी द्वारा उसका परिदान स्वीकार करने से इंकार करने की दशा में, वह आदेश उस स्थापना के जिसमें कि वह है, सूचना पलक पर चिपका दिया जाएगा और सूचना पलक पर उसने इस प्रकार चिपका दिये जाने से यही समझा जावेगा कि वह आदेश उस पर तामील कर दिया गया है।

15. अपील :—

1. कोई भी कर्मचारी, नियम 13 के खण्ड (एक) तथा (दो) के अधीन अभिरोपित शास्ति को छोड़कर ऊपर दिये गये नियम 13 के अधीन उस पर अभिरोपित किसी शास्ति के विरूद्ध, ऐसी शास्ति अभिरोपित करने वाले प्राधिकारी के ठीक वरिष्ठ प्राधिकारी में शास्ति और एक माह के भीतर अपील कर सकेगा। ऐसे सफल प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।
3. उपनियम (1) के अधीन कोई अपील अपील प्राधिकारी को सीधे प्रस्तुत की जा सकेगी।

16. निर्वचन :—

इन नियमों के निर्वचन के संबंध में प्रश्न उद्‌भुत हो, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

17. छूट :—

इन नियमों में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जावेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसको ये नियम लागू होते हैं, शासन की ऐसी नीति के कार्यवाही करने की शक्ति को, जो उसे (शासन की) न्यायसंगत तथा उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है। परन्तु मामले में ऐसा किसी रीति में कार्यवाही नहीं की जावेगी जो कि उसके लिए इन नियमों में उपबंधित रीति से कम अनुकूल हो।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(प.के. पण्ड्या)
सचिव
म0प्र0 शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

अनुसूची

कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले तृतीय वर्ग के कर्मचारियों की सूची
(लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग)
(नियम 5 देखिये)

क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	नियुक्ति अधिकारी
1	वायर मैन / इलैक्ट्रिशियन	10	तृतीय वर्ग	अ.यंत्री / का.यंत्री
2	पम्प ड्रायवर	35	"	"
3	प्लम्बर	5	"	"
4	स्थर कम्प्रेशर ड्रायवर	6	"	"
5	उप यंत्री	1	"	अधीक्षण यंत्री
6	सब आर्टिफिटर / आपरेटर	—	"	अ.यंत्री / का.यंत्री
7	मीटर मिस्त्री	1	"	"
8	मीटर रीडर	8	"	"
9	ड्रीलर	—	"	"
10	सहायक ड्रीलर	—	"	"
11	सुपरवाइजर	—	"	"
12	लेब असिस्टेंट	—	"	"
13	बिल क्लर्क	7	"	"
14	स्टोर क्लर्क	—	"	"
15	मीटर क्लर्क	28	"	"
16	सर्वेयर	1	"	"
17	आर्टफिटर	—	"	"
18	कारपेंटर	1	"	"
19	देसर	1	"	"
20	ब्लेक स्मिथ	1	"	"
21	मेशन	2	"	"
22	स्थर कम्प्रेशर आपरेटर	1	"	"
23	सहायक स्थर कम्प्रेशर आपरेटर	1	तृतीय वर्ग	अ.यंत्री / का.यंत्री
24	स्थर कम्प्रेशर विंग आपरेटर	5	"	"
25	ड्रायवर	188	"	"
26	टाईम कीपर	362	"	"
27	वर्क असिस्टेंट	13	"	"
28	फिटर	21	"	कार्यपालन यंत्री
29	मैकेनिक	15	"	अ.यंत्री / का.यंत्री
30	वर्क मिस्त्री	14	"	"
31	पम्प मिस्त्री	2	"	"
32	लाइन मिस्त्री	2	"	"
33	मेशन मिस्त्री	2	"	"
34	मिस्त्री	16	"	"

8	कुली	19	"चतुर्थ वर्ग	" का0 यंत्री /
9	मीटर फिटर	1	"	"
10	पाइप फिटर	..	"	"
11	लेब अटेण्डेन्ट	..	"	"
12	लाइन मैन	33	"	"
13	फिटर अटैण्डेन्ट	12	"	"
14	बिल डिस्ट्रीब्यूटर	8	"	"
15	दरोगा	1	"	"
16	वेल्डर	..	"	"
17	हैड माली	11	"	"
18	चौकीदार	473	"	"
19	वाटर मैन	19	"	"
20	हरिजन (स्वीपर)	37	"	"
21	क्लोरीन फिल्टर आपरेटर	1	"	"
22	लेबोरेटरी बॉय	1	"	"
23	हेल्पर	169	"	"
1	क्लीनर	52	चतुर्थ वर्ग	का.यंत्री / सं.यंत्री
2	की मैन	..	"	"
3	आयल मैन	29	"	"
4	खलासी	631	"	"
5	टेलीफोन अटेण्डेन्ट	9	"	"
6	पम्प अटेण्डेन्ट	34	"	"
7	वाल्व मैन	7	"	"

75

मध्य प्रदेश शासन
लोकस्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

क्रमांक 2036 / 35 / एक / 80 भोपाल दिनांक 27.05.80

भारत के संविधान के अनुच्छेद 384 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2035 / 35 / पी.एच.ई. / 1 दिनांक 27.05.80 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(डॉ. क. पण्डया)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

(76) कार्यभारित

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 408] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 20 सितम्बर 2012—भाद्र 29, शक 1934

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 2012

क्रमांक एफ 2-24-2010-1-चौंतीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2012 है.

(2) ये नियम, इनके मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, अनुसूची एक क तथा दो ख के कॉलम (6) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ;

(ख) "आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी" से अभिप्रेत है, उन कर्मचारियों को अपवर्जित करते हुए, कोई व्यक्ति जो किसी कार्यालय अथवा स्थापना में पूर्णकालिक रूप से नियोजित हो और जिसे मासिक आधार पर भुगतान किया जाता हो तथा जिसका वेतन कार्यालय की आकस्मिकता निधि पर भारित हो और जो किसी वर्ष में केवल कुछ अवधियों के लिए नियोजित रहे हों;

(ग) "कर्मचारी" से अभिप्रेत है, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाला कर्मचारी;

(घ) "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(ङ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-85-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(च) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमे का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है ;

(छ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति अथवा जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है ;

(ज) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची ;

(झ) "सेवा" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा ;

(ञ) "कार्यभारित कर्मचारी" से अभिप्रेत है कार्य के सामान्य पर्यवेक्षण से अन्यथा किसी कार्य के वास्तविक निष्पादन के लिए नियोजित कोई व्यक्ति अथवा पर्यवेक्षण से संबंधित कार्य के लिए उन कर्मचारियों को अपवर्जित करते हुए, जिन्हें दैनिक मजदूरी के आधार पर या मस्टर रोल पर भुगतान किया जाता है, विभागीय श्रमिक के रूप में स्टोर में, विद्युत् उपकरण तथा मशीनरी इत्यादि को चलाने तथा उनके संधारण से संबंधित कार्य के लिए नियोजित कोई व्यक्ति।

3. विस्तार तथा लागू होना.–

मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे।

4. सेवा का गठन.–

सेवा का गठन निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर होगा, अर्थात् :–

(क) कोई व्यक्ति, जिसने 1 जनवरी, 2011 को, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त कर्मचारी के रूप में सेवा का कम से कम एक वर्ष पूर्ण कर लिया हो और जो उस तारीख को, अनुसूची तीन में विनिर्दिष्ट पदों में से कोई पद धारण कर रहा हो या जिसने उस तारीख को राज्य सरकार के नियमित नियोजन में समान पद धारण करने वाले कर्मचारियों के लिये विहित अधिवार्षिकी आयु पूर्ण न की हो।

(ख) कोई व्यक्ति जो इन नियमों के उपबंधों के अधीन इस सेवा में भर्ती किया गया हो।

5. सेवा का वर्गीकरण तथा पदों की संख्या.—

सेवा का वर्गीकरण तथा उसमें सम्मिलित पदों की संख्या तथा उनके लिए नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूची एक क और एक ख में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होंगे।

6. श्रेणीकरण.— इन नियमों के प्रयोजनों के लिए कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) स्थायी ; और

(ख) अस्थायी,

ऐसा कर्मचारी जिसने 1 जनवरी, 2011 को सेवा के पन्द्रह वर्ष पूर्ण कर लिए हों, स्थायी कर्मचारी तथा जिसने 1 जनवरी, 2011 को सेवा के पन्द्रह वर्ष पूर्ण न किए हों, अस्थायी कर्मचारी होगा।

7. भरती का तरीका:— (1) अनुसूची में विनिर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी के अधीन स्थापना, भर्ती तथा वरिष्ठता को सम्मिलित करते हुए समस्त प्रयोजनों के लिए एक इकाई गठित करेगी।

(2) आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :—

(क) सीधी भर्ती द्वारा ;

(ख) स्थानांतरण द्वारा।

(3) प्रत्येक जिले में, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाली एक समिति गठित की जएगी, अर्थात् :—

(क) वृत्त का अधीक्षण यंत्री .... अध्यक्ष

(ख) कार्यपालन यंत्री .... सदस्य (अधीक्षण यंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट)

(ग) यथास्थिति, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग से राजपत्रित श्रेणी — दो से अनिम्न पद श्रेणी का कोई अधिकारी .... सदस्य

(4) इस सेवा के अधीन किसी पद पर नियुक्ति, उपनियम (3) के अधीन गठित समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

(5) इन नियमों में की कोई भी बात, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों को उपलब्ध कराए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

(6) इस सेवा के अधीन पदों पर सीधी भर्ती रोजगार कार्यालय द्वारा तैयार सूची में से, जब संबंधित स्थापना द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए मांगी जाए, की जाएगी और यदि रोजगार कार्यालय द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं तो विज्ञापन द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जाकर भर्ती की जाएगी।

(7) पदों को भरने के लिये शैक्षणिक अर्हताएं ऐसी होंगी जैसी कि तत्स्थानी पदों के लिए राज्य सरकार द्वारा नियमित कर्मचारियों के लिये विहित की गई हों, जहां ऐसे कोई तत्स्थानी पद न हों वहां शैक्षणिक अर्हता नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित की जाएगी।

(8) न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने वाला कोई ऐसा कर्मचारी भी, जिससे शैक्षणिक अर्हता के साथ साथ कम से कम 3 वर्ष की निरंतर सेवा अपेक्षित हो, कार्यभारित, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी के रूप में नियुक्त किए जाने का पात्र होगा।

(9) जहाँ प्रशिक्षण के संबंध में अपेक्षित अर्हताएं रखने वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न हों, वहां इस शर्त के अध्यधीन कि संबंधित स्थापना द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रशिक्षण के अवसर का लाभ लेने के पश्चात् उन्हें निश्चित कालावधि के भीतर ऐसे प्रशिक्षण के लिए अपेक्षित अर्हता प्राप्त करनी होगी, अप्रशिक्षित अभ्यर्थी भी भर्ती किए जा सकेंगे।

(10) सरकार द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों को होरीजेण्टल तथा कम्पार्टमेंट आधार पर आरक्षण दिया जाएगा।

8. **नये सदस्यों की शारीरिक योग्यता और अधिवार्षिकी आयु.**— नये सदस्यों के लिए भर्ती के लिए शारीरिक योग्यता और अधिवार्षिकी आयु वही होगी जो नियमित नियोजन में समान प्रवर्गों वाले सरकारी सेवकों के लिए लागू होती है।

9. **वरिष्ठता सूची.**— प्रत्येक इकाई में, प्रत्येक वर्ग को वरिष्ठता सूची मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 को ध्यान में रखते हुए बनाये रखी जाएगी। छंटनी के प्रयोजन के लिए जहां कि शासन के हित में कोई कर्मचारी एक से दूसरी इकाई में स्थानांतरित किया

जाता है, तो छंटनी के विषय में मूल इकाई में उसकी सेवा की निरंतरता को विचार में लिया जाएगा।

10. **सेवा अभिलेख.**— स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों के समुचित सेवा अभिलेख इकाई स्तर पर सम्यक्रूप से उसी प्रोफार्मा में सत्यापित किए जाएंगे जो कि राज्य सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए उपयोग में लाया जाता है।

11. **सेवोन्मुक्ति प्रमाण पत्र.**— उस दशा में जहां कि कोई कर्मचारी छंटनी के परिणामस्वरूप सेवा छोड़ता है, उसे, मांगे जाने पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्ररूप में एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, अर्थात् : —

(1) नाम : ....
(2) पिता/पति का नाम : ....
(3) पहचान चिन्ह (यदि कोई हों तो) : ....
(4) कुल सेवा : ....से ....तक
(5) छोड़ते समय धारित नियुक्ति : ....
(6) वेतनमान की दर (यदि कोई हो तो) : ....
(7) सेवा छोड़ने का कारण : ....

कर्मचारी के
हस्ताक्षर या अगूंठे का निशान

हस्ताक्षर ....
नियुक्ति प्राधिकारी की मुद्रा
तथा पदनाम

12 **आचरण.**— मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के उपबंध सेवा के सदस्यों को लागू होंगे :

परंतु कदाचार में किसी कर्मचारी की ओर से किए गए निम्नलिखित कार्य तथा लोप भी सम्मिलित होंगे, अर्थात् : —

(क) शासकीय कारबार या संपत्ति के संबंध में चोरी, कपट या बेईमानी ;

(ख) वरिष्ठ के किसी विधिपूर्ण या युक्तियुक्त आदेश की या तो अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ जानबूझकर अवज्ञा ;

(ग) शासकीय माल या संपत्ति की जानबूझकर क्षति या हानि ;

(घ) शासकीय कार्य को करने के लिए रिश्वत या कोई पारितोषिक लेना या देना ;

(ड.) विलंब से उपस्थित होने का अभ्यस्त होना ;

(च) बिना अवकाश के अनुपस्थित रहने अथवा बिना अवकाश के दस से अधिक दिनों तक अनुपस्थित रहने का अभ्यस्त होना ;

(छ) इस स्थापना अथवा विभाग के कर्मचारी को लागू किन्हीं आचरण नियमों के भंग का अभ्यस्त होना ;

(ज) स्थापना या विभाग में कामकाज के घंटों के दौरान बलवाई या विच्छृंखल व्यवहार या अनुशासन विरोधी कोई कार्य ;

(झ) कार्य की आभ्यासिक उपेक्षा जिसमें काम के घंटों के दौरान सोना सम्मिलित है ;

(ञ) किसी कार्य या लोप की बारबार पुनरावृत्ति ;

(ट) कार्य के संपादन में जानबूझकर मन्दगति ;

(ठ) किसी कर्मचारी द्वारा किसी अप्राधिकृत व्यक्ति को विभागीय जानकारी का प्रकटन;

(ड) विभाग की स्थापना के परिसर में जुआ और सट्टा खेलना ;

(ढ) तत्समय विधि का बल रखने वाली किसी विधि या नियम के उपबंधों के उल्लंघन में हड़ताल करना या अन्य लोगों को हड़ताल पर जाने के लिए उकसाना ;

(ण) काम के घंटों के दौरान मद्यपान या किसी भांति का नशा करना ;

(त) राज्य की सुरक्षा के विरूद्व कोई कार्रवाई।

13 शास्तियां.— किसी अच्छे तथा पर्याप्त कारणों से किसी कर्मचारी पर निम्नलिखित शास्तियां अधिरोपित की जा सकेंगी, अर्थात् :—

(क) परिनिंदा ;

(ख) एक बार में एक दिन की उपलब्धियों से अनधिक जुर्माना ;

(ग) वेतनवृद्धियों या पदोन्नतियों को रोका जाना ;

(घ) किसी विधि की उपेक्षा या भंग द्वारा शासन को कारित किसी संपूर्ण आर्थिक हानि या उसके किसी भाग की वेतन से वसूली ;

(ङ) एक बार में 14 दिन से अनधिक की किसी कालावधि के लिये निलंबन (किसी मजदूरी के लिये हकदार हुए बिना) ;

(च) निम्नतर पद या ग्रेड पर प्रतिवर्तन ;

(छ) सेवा से हटाया जाना भावी नियोजन के लिये निरहर्ता नहीं होगी ;

(ज) सेवा से पदच्युत किया जाना भावी नियोजन के लिये निरहर्ता होगी।

14 शास्तियां अधिरोपित करने के लिये प्रकियाः—

(1) नियम 13 के खण्ड (च), (छ) और (ज) में विनिर्दिष्ट किन्हीं भी शास्तियों को अधिरोपित करने वाला कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि : —

(क) कर्मचारी को उसके विरूद्व कार्रवाई किये जाने के प्रस्ताव तथा उन आरोपों के बारे में, जिन पर कार्रवाई किया जाना प्रस्तावित है जबकि ऐसा किया जाना संभव हो, लिखित में सूचित न कर दिया गया हो ;

(ख) कर्मचारी को उसके विरूद्व लगाए गए आरोपों के संबंध में अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए सुनवाई का एक अवसर न दे दिया गया हो ;

(ग) ऐसा स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, विचार में लिया गया है, तब कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी के आदेश के बिना पदच्युत नहीं किया जाएगा।

(2) ऐसा किया जाना तब आवश्यक नही होगा जब विभागाध्यक्ष, राज्य की सुरक्षा के आधार पर किसी कर्मचारी को सेवा से हटाया जाना आवश्यक समझे।

(3) उप नियम (1) में निर्दिष्ट लिखित में कोई आदेश कर्मचारी को परिदत्त किए जाने पर तुरंत प्रभावी हो जाएगा तथा कर्मचारी द्वारा परिदान स्वीकार किए जाने से इंकार किए जाने की दशा में यह, उस स्थापना के सूचना पटल पर जिसमें कि वह है चिपका दिया जाएगा और सूचना पटल पर उसका ऐसा चिपका दिया जाना उस पर तामील कर दिया जाना समझा जाएगा।

15 अपील.— (1) कर्मचारी नियम 13 के खण्ड (क) तथा (ख) के अधीन उस पर अधिरोपित शास्ति के सिवाय ऊपर नियम 13 के अधीन उस पर अधिरोपित किसी शास्ति के विरूद्व कोई अपील, शास्ति अधिरोपित किए जाने से एक मास की किसी कालावधि के भीतर उस प्रधिकारी से ठीक वरिष्ठ प्राधिकारी को जिसने कि शास्ति अधिरोपित की है, कर सकेगा, ऐसे अपील प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन कोई अपील सीधे अपील प्राधिकारी को प्रस्तुत की जा सकेगी।

16 निर्वचन.– यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्‌भूत होता है तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका कि उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

17 शिथिलीकरण.– इन नियमों ने की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि यह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसे कि यह नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति में जैसी कि उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत हो, कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को सीमित या कम करती है :

परन्तु मामले में किसी ऐसी रीति में कार्यवाही नहीं की जाएगी जो कि उसके लिए इन नियमों में उपबंधित रीति से कम अनुकूल हो ।

18 **निरसन** तथा व्यावृत्ति.– इन नियमों के ठीक पूर्व प्रवृत्त मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कार्यभारित एवं आकस्मिक सेवा (सेवा तथा भर्ती की शर्तें) नियम, 1980, इन नियमों द्वारा समाविष्ट मामलों के संबंध मे एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं :

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

अनुसूची एक – क

(नियम–5 देखिए)

कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से संदाय किए जाने वाले तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की सेवा का वर्गीकरण और पदों की संख्या

अनु– कमांक	पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	एयर कम्प्रेशर आपरेटर	73	तृतीय श्रेणी	रू. 5200–20200+1900 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
2.	इलेक्ट्रिशियन ग्रेड–3	80	तृतीय श्रेणी	रू. 5200–20200+1900 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
3.	कारपेन्टर	35	तृतीय श्रेणी	रू. 5200–20200+1800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
4.	सहायक केमिस्ट	117	तृतीय श्रेणी	रू. 5200–20200+1800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
5.	केमिस्ट	21	तृतीय श्रेणी	रू. 5200–20200+2800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
6.	क्लोरीन आपरेटर	31	तृतीय श्रेणी	रू. 5200–20200+1800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
7.	मीटर रीडर	114	तृतीय श्रेणी	रू. 5200–20200+1800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
8.	मैकेनिक ग्रेड–3	219	तृतीय श्रेणी	रू. 5200–20200+1900 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
9.	बिल लिपिक	65	तृतीय श्रेणी	रू. 5200–20200+1800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
10.	अनुसंधान सहायक	22	तृतीय श्रेणी	रू. 5200–20200+2800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
11.	शिफ्ट इंचार्ज	17	तृतीय श्रेणी	रू. 5200–20200+1800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
12.	सहायक फिटर	18	तृतीय श्रेणी	रू. 5200–20200+1800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
13.	फिटर ग्रेड–3	65	तृतीय श्रेणी	रू. 5200–20200+1900 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
14.	फिल्टर आपरेटर ग्रेड–3	72	तृतीय श्रेणी	रू. 5200–20200+1800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
15.	पंप चालक	142	तृतीय श्रेणी	रू. 5200–20200+1800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
16.	पंप आपरेटर	122	तृतीय श्रेणी	रू. 5200–20200+1800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
17.	पेंटर ग्रेड–3	07	तृतीय श्रेणी	रू. 5200–20200+1800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
18.	प्लम्बर	257	तृतीय श्रेणी	रू. 5200–20200+1900 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
19.	प्रयोगशाला सहायक	133	तृतीय श्रेणी	रू. 5200–20200+1800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
20.	समयपाल	383	तृतीय श्रेणी	रू. 5200–20200+1800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
21.	स्टोर क्लर्क	193	तृतीय श्रेणी	रू. 5200–20200+1800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
22.	वायरमेन	85	तृतीय श्रेणी	रू. 5200–20200+1800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
23.	वाहन चालक	599	तृतीय श्रेणी	रू. 5200–20200+1900 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
24.	वेल्डर	16	तृतीय श्रेणी	रू. 5200–20200+1900 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
25.	हैण्डपंप तकनीशियन	1039	तृतीय श्रेणी	रू. 5200–20200+2100 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
26.	टर्नर	15	तृतीय श्रेणी	रू. 5200–20200+1900 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
27.	पाइप फिटर	27	तृतीय श्रेणी	रू. 5200–20200+1900 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
28.	फिल्टर फिटर	18	तृतीय श्रेणी	रू. 5200–20200+1900 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
29.	उपयंत्री	51	तृतीय श्रेणी	रू. 5200–20200+2800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
30.	फिटर सहायक	13	तृतीय श्रेणी	रू. 5200–20200+1800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
31.	सहायक रिग आपरेटर	85	तृतीय श्रेणी	रू. 5200–20200+2100 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
32.	रिग आपरेटर	104	तृतीय श्रेणी	रू. 5200–20200+2800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
33.	ड्रिलर	06	तृतीय श्रेणी	रू. 5200–20200+1900 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
34	सहायक ग्रेड–3	17	तृतीय श्रेणी	रू. 5200–20200+1800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
35.	सहायक ग्रेड–2	06	तृतीय श्रेणी	रू. 5200–20200+1900 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता

4272

अनुसूची एक — ख
(नियम–5 देखिए)

कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से संदाय किए जाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवा का वर्गीकरण और पदों की संख्या

अनु–क्रमांक	पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	वाटर ट्रालीमेन	11	चतुर्थ श्रेणी	रू. 4400–7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
2.	फिल्टर अटेंडेंट	24	चतुर्थ श्रेणी	रू. 4400–7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
3.	खानसामा	07	चतुर्थ श्रेणी	रू. 4400–7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
4.	खल्लासी	86	चतुर्थ श्रेणी	रू. 4400–7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
5.	कामगार	77	चतुर्थ श्रेणी	रू. 4400–7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
6.	क्लीनर	56	चतुर्थ श्रेणी	रू. 4400–7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
7.	क्लोरीन टेस्टर	43	चतुर्थ श्रेणी	रू. 4400–7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
8.	माली	83	चतुर्थ श्रेणी	रू. 4400–7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
9.	बिल वितरक	120	चतुर्थ श्रेणी	रू. 4400–7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
10.	हेल्पर	2139	चतुर्थ श्रेणी	रू. 4400–7440+1300 ग्रेडपे	✓ मुख्य अभियंता
11.	पंप अटेंडेंट	423+67	चतुर्थ श्रेणी	रू. 4400–7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
12.	स्वीपर	166	चतुर्थ श्रेणी	रू. 4400–7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
13.	वाटरमेन	06	चतुर्थ श्रेणी	रू. 4400–7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
14.	वाल्वमेन	425	चतुर्थ श्रेणी	रू. 4400–7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
15.	चौकीदार	766	चतुर्थ श्रेणी	रू. 4400–7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
16.	आइलमेन	211	चतुर्थ श्रेणी	रू. 4400–7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
17.	लाईनमेन	22	चतुर्थ श्रेणी	रू. 4400–7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
18.	लेब अटेंडेन्ट	15	चतुर्थ श्रेणी	रू. 4400–7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
19.	लेबर	38	चतुर्थ श्रेणी	रू. 4400–7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
20.	मेशन	124	चतुर्थ श्रेणी	रू. 4400–7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
21.	टेलीफोन अटेंडेंट	219	चतुर्थ श्रेणी	रू. 4400–7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता

5128

अनुसूची –दो क

(नियम–7 देखिए)

कार्यभारित और आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के भर्ती की प्रकिया

अनु–क्रमांक	पद का नाम	पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत			विभागीय चयन समिति
			सीधी भरती द्वारा	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवाओं में से व्यक्तियों के अस्थाई स्थानांतरण द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	एयर कम्प्रेशर आपरेटर	73	100%			मुख्य अभियंता द्वारा नामनिर्दिष्ट 1. अधीक्षण यंत्री – अध्यक्ष 2. कार्यपालन यंत्री – सदस्य 3. सहायक यंत्री – सदस्य टिप्पणी – एक सदस्य या तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग से होगा ।
2.	इलेक्ट्रिशियन ग्रेड–3	80	100%			तदैव
3.	कारपेन्टर	35	100%			तदैव
4.	सहायक केमिस्ट	117	100%			तदैव
5.	केमिस्ट	21	100%			तदैव
6.	क्लोरीन आपरेटर	31	100%			तदैव
7.	मीटर रीडर	114	100%			तदैव
8.	मैकेनिक ग्रेड–3	219	100%			तदैव
9.	बिल लिपिक	65	100%			तदैव
10.	अनुसंधान सहायक	22	100%			तदैव
11.	शिफ्ट इंचार्ज	17	100%			तदैव
12.	सहायक फिटर	18	100%			तदैव
13.	फिटर ग्रेड–3	65	100%			तदैव
14.	फिल्टर आपरेटर ग्रेड–3	72	100%			तदैव
15.	पंप चालक	142	100%			तदैव
16.	पंप आपरेटर	122	100%			तदैव
17.	पेंटर ग्रेड–3	07	100%			तदैव
18.	प्लम्बर	153	100%			तदैव
19.	प्रयोगशाला सहायक	133	100%			तदैव
20.	समयपाल	388	100%			तदैव
21.	स्टोर क्लर्क	193	100%			तदैव
22.	वायरमेन	85	100%			तदैव
23.	वाहन चालक	599	100%			तदैव
24.	वेल्डर	16	100%			तदैव

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
25.	हैण्डपंप तकनीशियन	1039	100%			तदैव
26.	टर्नर	15	100%			तदैव
27.	पाईप फिटर	27	100%			तदैव
28.	फिल्टर फिटर	18	100%			तदैव
29.	उपयंत्री	51	100%			तदैव
30.	फिल्टर सहायक	13	100%			तदैव
31.	सहायक रिगं आपरेटर	85	100%			तदैव
32.	रिग आपरेटर	104	100%			तदैव
33.	ड्रिलर	06	100%			तदैव
34.	सहायक ग्रेड–3	17	100%			तदैव
35.	सहायक ग्रेड–2	06	100%			तदैव

(88)

अनुसूची –दो ख
(नियम–7 देखिए)

कार्यभारित और आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के भर्ती की प्रकिया

अनु–कमांक	पद का नाम	पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत			विभागीय चयन समिति
			सीधी भरती द्वारा	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवाओं में से व्यक्तियों के अस्थाई स्थानांतरण द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	वाटर ट्रालीमेन	11	100%			मुख्य अभियंता द्वारा नामनिर्दिष्ट 1. अधीक्षण यंत्री – अध्यक्ष 2. कार्यपालन यंत्री – सदस्य 3. सहायक यंत्री – सदस्य टिप्पणी – एक सदस्य या तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग से होगा ।
2.	फिल्टर अटेंडेंट	24	100%			
3.	खानसामा	07	100%			तदैव
4.	खल्लासी	86	100%			तदैव
5.	कामगार	77	100%			तदैव
6.	क्लीनर	56	100%			तदैव
7.	क्लोरीन टेस्टर	43	100%			तदैव
8.	माली	83	100%			तदैव
9.	बिल वितरक	120	100%			तदैव
10.	हेल्पर	2139	100%			तदैव
11.	पंप अटेंडेंट	423+67	100%			तदैव
12.	स्वीपर	166	100%			तदैव
13.	वाटरमेन	06	100%			तदैव
14.	वाल्वमेन	425	100%			तदैव
15.	चौकीदार	766	100%			तदैव
16.	आइलमेन	211	100%			तदैव
17.	लाईनमेंन	22	100%			तदैव
18.	लेब अटेंडेन्ट	15	100%			तदैव
19.	लेबर	38	100%			तदैव
20.	मेंशन	124	100%			तदैव
21.	टेलीफोन अटेंडेट	219	100%			तदैव

89

अनुसूची — तीन
(देखिए नियम–8)

कार्यभारित और आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की विहित आयु सीमा और अर्हताएं

अनु.–कमांक	पद का नाम	विहित आयु सीमा		शैक्षणिक, तकनीकी योग्यता तथा संबंधित ट्रेड में अनुभव
		न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	एयर कम्प्रेशर आपरेटर,	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण हो एवं संबंधित ट्रेड का अनुभव होना चाहिए
2.	इलेट्रीशियन ग्रेड–तीन	18 वर्ष	35 वर्ष	हाई स्कूल प्रमाण पत्र उत्तीण और इलेट्रीशियन ट्रेड में 5 वर्षो का अनुभव
3.	कारपेन्टर	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी उत्तीर्ण एवं एवं संबंधित ट्रेड में पांच वर्ष का अनुभव
4.	सहायक केमिस्ट	18 वर्ष	35 वर्ष	हायर सेकेण्डरी अथवा (10+2) प्रणालो के तहत 12वी कक्षा रसायनशास्त्र एक विषय के साथ उत्तीर्ण
5.	केमिस्ट	18 वर्ष	35 वर्ष	(रसायन शास्त्र विषय के साथ) बी.एस.सी. उत्तीर्ण होना चाहिए । वाटर सीवेज तथा औद्योगिक अपशिष्ट टेस्टिंग में अनुभवी अभ्यार्थी को अधिमानता दी जायेगी ।
6.	क्लोरीटन आपरेटर	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) प्रणाली से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण ।
7.	मीटर रीडर	18 व	35 वर्ष	(10+2) प्रणाली हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण
8.	मैकेनिक ग्रेड–तीन	18 वर्ष	35 वर्ष	हायर सेकेण्डरी अथवा (10+2) प्रणाली के तहत 12वी कक्षा उत्तीर्ण एवं आई.टी.आई.से फिटर/ मैकेनिक /डीजल मैकेनिक/मोटर मैकेनिक/ मशीनिष्ट ट्रेड उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र ।
9.	बिल लिपिक	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) प्रणाली से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण
10.	अनुसंधान सहायक	18 वर्ष	35 वर्ष	रसाययन शास्त्र एक विषय से साथ (10+2) प्रणाली से हायर सेकण्डरी उत्तीर्ण ।
11.	शिफ्ट इंचार्च	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) प्रणाली से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड का तीन वर्ष का अनुभव ।
12.	सहायक फिटर	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) पद्वति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड का तीन वर्ष का अनुभव ।
13.	फिटर ग्रेड–तीन	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) प्रणाली से हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण एवं संबंधित ट्रेड का तीन वर्ष का अनुभव ।
14.	फिल्टर आपरेटर ग्रेड–तीन	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) प्रणाली से हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण एवं संबंधित ट्रेड का तीन वर्ष का अनुभव ।
15.	पंप चालक	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) पद्वति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड का तीन वर्ष का अनुभव ।

अनु.–क्रमांक	पद का नाम	विहित आयु सीमा		शैक्षणिक, तकनीकी योग्यता तथा संबंधित ट्रेड में अनुभव
		न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16.	पंप आपरेटर	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) पद्वति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड का तीन वर्ष का अनुभव ।
17.	पेंटर ग्रेड–तीन	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) पद्वति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड का तीन वर्ष का अनुभव ।
18.	प्लम्बर	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए एवं संबंधित ट्रेड की अर्हता और अनुभव ।
19.	प्रयोग शाला सहायक	18 वर्ष	35 वर्ष	बी.एस.सी.रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान विषय से उत्तीर्ण होना चाहिए ।
20.	समयपाल	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) पद्वति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण ।
21.	स्टोर क्लर्क	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) पद्वति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण ।
22.	वायरमेन	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण और संबंधित ट्रेड की अर्हता तथा अनुभव ।
23.	वाहन चालक	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) पद्वति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड का तीन वर्ष का अनुभव ।
24.	वेल्डर	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) पद्वति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण तथा आई.टी.आई से डिलोमा तथा संबंधित ट्रेड का तीन वष का अनुभव ।
25.	हैण्डपंप तकनीशियन	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) प्रणाली से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं आई.टी.आई. फिटर/मैकेनिक/मनिश्ष्टि ट्रेड में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र ।
26.	टर्नर	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) प्रणाली से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं आई.टी.आई. से संबंधित ट्रेड में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र ।
27.	पाईप फिटर	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) प्रणाली से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं आई.टी.आई. से संबंधित ट्रेड में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र ।
28.	फिल्टर फिटर	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) प्रणाली से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं आई.टी.आई. से संबंधित ट्रेड में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र ।
29.	उपयंत्री	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) पद्वति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा सिविल/मैके./इले./इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा ।
30.	फिल्टर सहायक	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित ट्रेड की अर्हता तथा अनुभव ।

अनु.–क्रमांक	पद का नाम	विहित आयु सीमा		शैक्षणिक, तकनीकी योग्यता तथा संबंधित ट्रेड में अनुभव
		न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31.	सहायक रिग आपरेटर	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) पद्वति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड का तीन वर्ष का अनुभव ।
32.	रिग आपरेटर	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) पद्वति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड का तीन वर्ष का अनुभव ।
33.	ड्रिलर	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) पद्वति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड का तीन वर्ष का अनुभव ।
34.	सहायक ग्रेड–तीन	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) प्रणाली से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं म.प्र. शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन का प्रमाण पत्र तथा मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्युटर परीक्षा उत्तीर्ण ।
35.	सहायक ग्रेड–दो	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) प्रणाली से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं म.प्र. शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन का प्रमाण पत्र तथा मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्युटर परीक्षा उत्तीर्ण ।
36.	टेलीफोन अटेंडेंट	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।
37.	वाटर टालीमेन	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।
38.	फिल्टर अटेंडेंट	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।
39.	खानसामा	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।
40.	खल्लासी	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।
41.	कामगार	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।
42.	क्लीनर	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।
43.	क्लोरीन टेस्टर	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।
44.	माली	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।
45.	बिल वितरक	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।

अनु.-क्रमांक	पद का नाम	विहित आयु सीमा		शैक्षणिक, तकनीकी योग्यता तथा संबंधित ट्रेड में अनुभव
		न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
46.	हेल्पर	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।
47.	पंप अटेंडेंट	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।
48.	स्वीपर	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।
49.	वाटरमेन	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।
50.	वाल्वमेन	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।
51.	चौकीदार	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।
52.	आइलमेन	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।
53.	लाईनमेन	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।
54.	लेब अटेंडेंट	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।
55.	लेबर	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।
56.	मेशन	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।

कार्यभारित
(18)
93

इस वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 60] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 जनवरी 2014—माघ 11, शक 1935

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2014

क्र.एफ–2–1–2014–1–चौंतीस.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतदद्वारा, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2012 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में ,–

(1) विद्यमान अनुसूची–एक ख के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् : –

अनुसूची एक ख

अनु-क्रमांक	पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	वाटर ट्रालीमेन	11	चतुर्थ-श्रेणी	रू. 4440-7440+1300 ग्रेडवेतन	मुख्य अभियंता
2.	फिल्टर अटेंडेंट	24	चतुर्थ श्रेणी	रू. 4440-7440+1300 ग्रेडवेतन	मुख्य अभियंता
3.	खानसामा	07	चतुर्थ-श्रेणी	रू. 4440-7440+1300 ग्रेडवेतन	मुख्य अभियंता
4	खल्लासी	86	चतुर्थ-श्रेणी	रू. 4440-7440+1300 ग्रेडवेतन	मुख्य अभियंता
5.	कामगार	77	चतुर्थ-श्रेणी	रू. 4440-7440+1300 ग्रेडवेतन	मुख्य अभियंता
6.	क्लीनर	56	चतुर्थ-श्रेणी	रू. 4440-7440+1300 ग्रेडवेतन	मुख्य अभियंता
7.	क्लोरीन टेस्टर	43	चतुर्थ-श्रेणी	रू. 4440-7440+1300 ग्रेडवेतन	मुख्य अभियंता
8.	माली	83	चतुर्थ-श्रेणी	रू. 4440-7440+1300 ग्रेडवेतन	मुख्य अभियंता
9.	बिल वितरक	120	चतुर्थ-श्रेणी	रू. 4440-7440+1300 ग्रेडवेतन	मुख्य अभियंता
10	हेल्पर	2139	चतुर्थ-श्रेणी	रू. 4440-7440+1300 ग्रेडवेतन	मुख्य अभियंता
11.	पंप अटेंडेंट	423+67	चतुर्थ-श्रेणी	रू. 4440-7440+1300 ग्रेडवेतन	मुख्य अभियंता
12.	स्वीपर	166	चतुर्थ-श्रेणी	रू. 4440-7440+1300 ग्रेडवेतन	मुख्य अभियंता
13.	वाटरमेन	06	चतुर्थ-श्रेणी	रू. 4440-7440+1300 ग्रेडवेतन	मुख्य अभियंता
14	वाल्वमेन	425	चतुर्थ-श्रेणी	रू. 4440-7440+1300 ग्रेडवेतन	मुख्य अभियंता
15	चौकीदार	766	चतुर्थ-श्रेणी	रू. 4440-7440+1300 ग्रेडवेतन	मुख्य अभियंता
16	आइलमेन	211	चतुर्थ-श्रेणी	रू. 4440-7440+1300 ग्रेडवेतन	मुख्य अभियंता
17	लाईनमेन	22	चतुर्थ-श्रेणी	रू. 4440-7440+1300 ग्रेडवेतन	मुख्य अभियंता
18.	लेब अटेंडेन्ट	15	चतुर्थ-श्रेणी	रू. 4440-7440+1300 ग्रेडवेतन	मुख्य अभियंता
19.	लेबर	38	चतुर्थ-श्रेणी	रू. 4440-7440+1300 ग्रेडवेतन	मुख्य अभियंता
20.	मेसन	124	चतुर्थ-श्रेणी	रू. 4440-7440+1300 ग्रेडवेतन	मुख्य अभियंता
21.	टेलीफोन अटेंडेंट	219	चतुर्थ-श्रेणी	रू. 4440-7440+1300 ग्रेडवेतन	मुख्य अभियंता

(2) विद्यमान अनुसूची- तीन के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :-

अनुसूची तीन
(नियम 8 देखिए)

कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की विहित आयु सीमा और अर्हता.

अनु-क्रमांक	पद का नाम	विहित आयु सीमा न्यूनतम आयु	विहित आयु सीमा अधिकतम आयु	शैक्षणिक, तकनीकी अर्हता तथा संबंधित ट्रेड में अनुभव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	एयर कम्प्रेशर आपरेटर	18 वर्ष	40 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण, संबंधित ट्रेड की अर्हता और अनुभव होना चाहिए।
2.	इलेक्ट्रिशियन ग्रेड-तीन	18 वर्ष	40 वर्ष	हाई स्कूल अथवा हायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
3.	कारपेन्टर	18 वर्ष	40 वर्ष	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित ट्रेड में पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
4.	सहायक केमिस्ट	18 वर्ष	40 वर्ष	हायर सेकेण्डरी (10+2 पद्धति) के साथ रसायन शास्त्र एक विषय के रूप में उत्तीर्ण होना चाहिए।
5.	केमिस्ट	18 वर्ष	40 वर्ष	बी.एस.सी.(रसायन शास्त्र विषय के साथ) उत्तीर्ण होना चाहिए, वाटर सीवेज तथा औद्योगिक अपशिष्ट टेस्टिंग मे अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमान्यता दी जाएगी।

अनु-क्रमांक	पद का नाम	विहित आयु सीमा		शैक्षणिक, तकनीकी अर्हता तथा संबंधित ट्रेड में अनुभव
		न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	क्लोरीन आपरेटर	18 वर्ष	40 वर्ष	हायर सेकेण्डरी (10+2 पद्धति से) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
7.	मीटर रीडर	18 वर्ष	40 वर्ष	हायर सेकेण्डरी (10+2 पद्धति से) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
8.	मैकेनिक ग्रेड–तीन	18 वर्ष	40 वर्ष	हायर सेकेण्डरी (10+2 पद्धति से) परीक्षा उत्तीर्ण, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से फिटर/मैकेनिक/डीजल मैकेनिक/मोटर मैकेनिक/मशीनिष्ट ट्रेड का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
9.	बिल लिपिक	18 वर्ष	40 वर्ष	हायर सेकेण्डरी (10+2 पद्धति से) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
10.	अनुसंधान सहायक	18 वर्ष	40 वर्ष	बी.एस.सी.रसायन शास्त्र अथवा जीव विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए।
11.	शिफ्ट इंचार्ज	18 वर्ष	40 वर्ष	हायर सेकेण्डरी (10+2 पद्धति से) परीक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड का तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
12.	सहायक फिटर	18 वर्ष	40 वर्ष	हायर सेकेण्डरी (10+2 पद्धति से) परीक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड का तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
13.	फिटर ग्रेड–तीन	18 वर्ष	40 वर्ष	हायर सेकेण्डरी (10+2 पद्धति से) परीक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड का तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
14.	फिल्टर आपरेटर ग्रेड–तीन	18 वर्ष	40 वर्ष	हायर सेकेण्डरी (10+2 पद्धति से) परीक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड का तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
15.	पंप चालक	18 वर्ष	40 वर्ष	हायर सेकेण्डरी (10+2 पद्धति से) परीक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड का तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
16.	पंप आपरेटर	18 वर्ष	40 वर्ष	हायर सेकेण्डरी (10+2 पद्धति से) परीक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड का तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
17.	पेंटर ग्रेड–तीन	18 वर्ष	40 वर्ष	हायर सेकेण्डरी (10+2 पद्धति से) परीक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड का तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
18.	प्लम्बर	18 वर्ष	40 वर्ष	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण, संबंधित ट्रेड की अर्हता तथा अनुभव होना चाहिए।
19.	प्रयोगशाला सहायक	18 वर्ष	40 वर्ष	रसायनशास्त्र एक विषय के रूप में हायर सेकेण्डरी (10+2 पद्धति) के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए।
20.	समयपाल	18 वर्ष	40 वर्ष	हायर सेकेण्डरी (10+2 पद्धति से) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
21.	स्टोर क्लर्क	18 वर्ष	40 वर्ष	हायर सेकेण्डरी (10+2 पद्धति से) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
22.	वायरमेन	18 वर्ष	40 वर्ष	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड की अर्हता एवं अनुभव होना चाहिए।
23.	वाहन चालक	18 वर्ष	40 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण तथा तीन वर्ष का अनुभव एवं संबंधित वाहन की अनुज्ञप्ति होना चाहिए।

अनु-क्रमांक	पद का नाम	विहित आयु सीमा न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	शैक्षणिक, तकनीकी अर्हता तथा संबंधित ट्रेड में अनुभव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
24.	वेल्डर	18 वर्ष	40 वर्ष	हायर सेकेण्डरी (10+2 पद्धति से) परीक्षा उत्तीर्ण, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाण-पत्र तथा संबंधित ट्रेड मे तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
25.	हेण्डपम्प तकनीशियन	18 वर्ष	40 वर्ष	हायरसेकेण्डरी (10+2 पद्धति से) परीक्षा उत्तीर्ण, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से फिटर / मैकेनिक / मशीनिष्ट / टूल एण्ड डाय मेकर / टर्नर ट्रेड मे दो वर्षीय पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र होना चाहिए।
26.	टर्नर	18 वर्ष	40 वर्ष	हायर सेकेण्डरी (10+2 पद्धति से) परीक्षा उत्तीर्ण, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित ट्रेड का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
27.	पाईप फिटर	18 वर्ष	40 वर्ष	हायर सेकेण्डरी (10+2 पद्धति से) परीक्षा उत्तीर्ण, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित ट्रेड का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
28.	फिल्टर फिटर	18 वर्ष	40 वर्ष	हायर सेकेण्डरी (10+2 पद्धति से) परीक्षा उत्तीर्ण, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित ट्रेड का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
29.	उपयंत्री	18 वर्ष	40 वर्ष	हायर सेकेण्डरी (10+2 पद्धति से) उत्तीर्ण, (सिविल / मैकेनिकल / इलेक्ट्रिकल) इंजीनियरिंग मे तीन वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए।
30.	फिल्टर सहायक	18 वर्ष	40 वर्ष	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित ट्रेड की अर्हता तथा अनुभव होना चाहिए।
31.	सहायक रिग आपरेटर	18 वर्ष	40 वर्ष	हायर सेकेण्डरी अथवा (10+2 पद्धति से) परीक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड का तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
32.	रिग आपरेटर	18 वर्ष	40 वर्ष	हायर सेकेण्डरी अथवा (10+2 पद्धति से) परीक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड का तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
33.	ड्रिलर	18 वर्ष	40 वर्ष	हायर सेकेण्डरी अथवा (10+2 पद्धति से) परीक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड का तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
34.	सहायक ग्रेड-तीन	18 वर्ष	40 वर्ष	(1) हायर सेकेण्डरी अथवा (10+2 पद्धति से) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, (2) मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन का प्रमाण पत्र, और (3) निम्नलिखित मान्यताप्राप्त संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है -- (एक) यू.जी.सी. द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा। (दो) यू.जी.सी. द्वारा मान्यताप्राप्त किसी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा। (तीन) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा। (चार) शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय से मॉडर्न ऑफिस मेनेजमेंट में डिप्लोमा।

अनु.–क्रमांक	पद का नाम	विहित आयु सीमा		शैक्षणिक, तकनीकी अर्हता तथा संबंधित ट्रेड में अनुभव
		न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
35.	सहायक ग्रेड दो	18 वर्ष	40 वर्ष	(1) हायर सेकेण्डरी अथवा (10+2 पद्धति से) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए; (2) मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन का प्रमाण पत्र, और (3) निम्नलिखित मान्यताप्राप्त संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है (एक) यू.जी.सी. द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा। (दो) यू.जी.सी. द्वारा मान्यताप्राप्त किसी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा। (तीन) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा। (चार) शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय से मॉडर्न ऑफिस मेनेजमेंट मे डिप्लोमा।
36.	टेलीफोन अटेंडेंट	18 वर्ष	40 वर्ष	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड मे अर्हता एवं अनुभव होना चाहिए।
37.	वाटर ट्रालीमेन	18 वर्ष	40 वर्ष	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड में अर्हता एवं अनुभव होना चाहिए।
38.	फिल्टर अटेंडेंट	18 वर्ष	40 वर्ष	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड में अर्हता एवं अनुभव होना चाहिए।
39.	खानसामा	18 वर्ष	40 वर्ष	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड में अर्हता एवं अनुभव होना चाहिए।
40.	खल्लासी	18 वर्ष	40 वर्ष	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड में अर्हता एवं अनुभव होना चाहिए।
41.	कामगार	18 वर्ष	40 वर्ष	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड में अर्हता एवं अनुभव होना चाहिए।
42.	क्लीनर	18 वर्ष	40 वर्ष	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड में अर्हता एवं अनुभव होना चाहिए।
43.	क्लोरीन टेस्टर	18 वर्ष	40 वर्ष	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड मे अर्हता एवं अनुभव होना चाहिए।
44.	माली	18 वर्ष	40 वर्ष	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड मे अर्हता एवं अनुभव होना चाहिए।
45.	बिल वितरक	18 वर्ष	40 वर्ष	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड में अर्हता एवं अनुभव होना चाहिए।
46	हेल्पर	18 वर्ष	40 वर्ष	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड में अर्हता एवं अनुभव होना चाहिए।
47.	पंप अटेंडेंट	18 वर्ष	40 वर्ष	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड मे अर्हता एवं अनुभव होना चाहिए।
48.	स्वीपर	18 वर्ष	40 वर्ष	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड मे अर्हता एवं अनुभव होना चाहिए।

अनु- क्रमांक	पद का नाम	विहित आयु सीमा		शैक्षणिक, तकनीकी अर्हता तथा संबंधित ट्रेड में अनुभव
		न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
49.	वाटरमेन	18 वर्ष	40 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड मे अर्हता एव अनुभव होना चाहिए।
50.	वाल्वमेन	18 वर्ष	40 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण तथा संबधित ट्रेड मे अर्हता एव अनुभव होना चाहिए।
51.	चौकीदार	18 वर्ष	40 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड मे अर्हता एव अनुभव होना चाहिए।
52	आइलमेन	18 वर्ष	40 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड मे अर्हता एव अनुभव होना चाहिए।
53.	लाईनमेन	18 वर्ष	40 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड मे अर्हता एव अनुभव होना चाहिए।
54.	लेब अटेंडेंट	18 वर्ष	40 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड मे अर्हता एव अनुभव होना चाहिए।
55.	लेबर	18 वर्ष	40 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड मे अर्हता एव अनुभव होना चाहिए।
56.	मेसन	18 वर्ष	40 वर्ष	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड में अर्हता एव अनुभव होना चाहिए।

No-2-1-2014-1-XXXIV.- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Public Health Engineering Department Work Charged and Contingency paid Employees (Recruitment and Conditions of service) Rules, 2012, namely :-

AMENDMENTS

In the said rules,-

(1) for the existing schedule 1B, the following schedule shall be substituted, namely:-

SCHEDULE 1B

S. No.	Name of posts	Number of posts	Classification	Pay Scale	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Water Trolyman	11	Class-IV	Rs. 4440-7440+1300 Grade Pay	Chief Engineer
2.	Filter Attendant	24	Class-IV	Rs. 4440-7440+1300 Grade Pay	Chief Engineer
3.	Khansanama	07	Class-IV	Rs. 4440-7440+1300 Grade Pay	Chief Engineer
4.	Khalasi	86	Class-IV	Rs. 4440-7440+1300 Grade Pay	Chief Engineer
5.	Kamgar	77	Class-IV	Rs. 4440-7440+1300 Grade Pay	Chief Engineer
6.	Cleaner	56	Class-IV	Rs. 4440-7440+1300 Grade Pay	Chief Engineer
7.	Chlorine Taster	43	Class-IV	Rs. 4440-7440+1300 Grade Pay	Chief Engineer

S. No	Name of posts	Number of posts	Classification	Pay Scale	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	Mali	83	Class-IV	Rs. 4440-7440+1300 Grade Pay	Chief Engineer
9.	Bill Distributor	120	Class-IV	Rs. 4440-7440+1300 Grade Pay	Chief Engineer
10.	Helper	2139	Class-IV	Rs. 4440-7440+1300 Grade Pay	Chief Engineer
11.	Pump Attendant	423+67	Class-IV	Rs. 4440-7440+1300 Grade Pay	Chief Engineer
12.	Sweeper	166	Class-IV	Rs. 4440-7440+1300 Grade Pay	Chief Engineer
13.	Waterman	06	Class-IV	Rs. 4440-7440+1300 Grade Pay	Chief Engineer
14.	Valveman	425	Class-IV	Rs. 4440-7440+1300 Grade Pay	Chief Engineer
15.	Chowkidar	766	Class-IV	Rs. 4440-7440+1300 Grade Pay	Chief Engineer
16.	Oilman	211	Class-IV	Rs. 4440-7440+1300 Grade Pay	Chief Engineer
17.	Lineman	22	Class-IV	Rs. 4440-7440+1300 Grade Pay	Chief Engineer
18.	Lab Attendant	15	Class-IV	Rs. 4440-7440+1300 Grade Pay	Chief Engineer
19.	Labour	38	Class-IV	Rs. 4440-7440+1300 Grade Pay	Chief Engineer
20.	Meson	124	Class-IV	Rs. 4440-7440+1300 Grade Pay	Chief Engineer
21.	Telephone Attendant	219	Class-IV	Rs. 4440-7440+1300 Grade Pay	Chief Engineer

(2) for the existing schedule-III, the following schedule shall be substituted, namely:-

SCHEDULE -III

(See rule 8)

Prescribed Age Limits and Qualification for Work-charge and Contingency Paid Employess.

S. No.	Name of post	Prescribed age limit		Educational, technical qualification and experience in the respective trade
		Minimum age	Maximum age	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Air Compressor Operator	18 years	40 years	Must have passed Class VIII, qualification and experience of respective trade .
2.	Electrician Grade-III	18 years	40 years	Must have passed High School Certificate or higher Secondary and five year experience in Electrician trade
3.	Carpenter	18 years	40 years	Must have passed Class VIII and Five years' experience in the trade.
4.	Assistant Chemist	18 years	40 years	Must have passed Higher Secondary (10+2 pattern) with Chemistry as one of the subject.
5.	Chemist	18 years	40 years	Must have passed B.Sc.(with Chemistry as a subject), preference will be given to the candidate having experience of water sewage and industrial waste testing.

S. No.	Name of post	Prescribed age limit		Educational, technical qualification and experience in the respective trade
		Minimum age	Maximum age	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Chlorine Operator	18 years	40 years	Must have passed Higher Secondary (10+2 pattern) examination
7	Meter Reader	18 years	40 years	Must have passed Higher Secondary (10+2 pattern) examination
8.	Mechanic Grade-III	18 years	40 years	Must have passed Higher Secondary (10+2 pattern) examination, Certificate of Fitter /mechanic/Diesel mechanic/Motor mechanic/Machinist trade from Industrial Training Institute.
9	Bill Clerk	18 years	40 years	Must have passed Higher Secondary (10+2 pattern) examination
10.	Research Assistant	18 years	40 years	Must have passed B.Sc. with Chemistry or Biology as Subject.
11.	Shift In-charge	18 years	40 years	Must have passed Higher Secondary (10+2 pattern) examination and three years' experience of respective trade.
12.	Assistant Fitter	18 years	40 years	Must have passed Higher Secondary (10+2 pattern) examination and three years' experience of respective trade.
13.	Fitter Grade-III	18 years	40 years	Must have passed Higher Secondary (10+2 pattern), examination and three years' experience of respective trade.
14.	Filter Operator Grade-III	18 years	40 years	Must have passed Higher Secondary (10+2 pattern), examination and three years' experience of respective trade.
15.	Pump Driver	18 years	40 years	Must have passed Higher Secondary (10+2 pattern), examination and three years' experience of respective trade.
16.	Pump Operator	18 years	40 years	Must have passed Higher Secondary (10+2 pattern), examination and three years' experience of respective trade.
17.	Painter Grade-III	18 years	40 years	Must have passed Higher Secondary (10+2 pattern), examination and three years' experience of respective trade.
18.	Plumber	18 years	40 years	Must have passed Class VIII, qualification of respective trade and experience.
19.	Lab Assistant	18 years	40 years	Must have passed Higher Secondary (10+2 pattern) with Chemistry as one subject.
20.	Timekeeper	18 years	40 years	Must have passed Higher Secondary (10+2 pattern), examination.
21.	Store Clerk	18 years	40 years	Must have passed Higher Secondary (10+2 pattern), examination.
22.	Wireman	18 years	40 years	Must have passed Class VIII, qualification and experience of respective trade.
23	Driver	18 years	40 years	Must have passed Class VIII, and three years experience and licence of respective vehicle.
24	Welder	18 years	40 years	Must have passed Higher Secondary (10+2 pattern), Certificat from Industrial Training Institute and three years' experience in the respective trade

S. No.	Name of post	Prescribed age limit		Educational, technical qualification and experience in the respective trade
		Minimum age	Maximum age	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25.	Hand Pump Technician	18 years	40 years	Must have passed Higher Secondary (10+2 pattern),Certificate of two years course in Fitter/Mechanic/machinist/Tool and die maker/Turner Trade from Industrial Training Institute .
26	Turner	18 years	40 years	Must have passed Higher Secondary (10+2 pattern), Certificate from Industrial Training Institute in the respective trade
27.	Pipe Fitter	18 years	40 years	Must have passed Higher Secondary (10+2 pattern), certificate from Industrial Training Institute in the respective trade
28	Filter Fitter	18 years	40 years	Must have passed Higher Secondary (10+2 pattern), certificate from Industrial Training Institute in the respective trade
29.	Sub-Engineer	18 years	40 years	Must have passed Higher Secondary (10+2 pattern), three years' Diploma in (Civil/ Mechanical/ Electrical) Engineering
30.	Filter Attendant	18 years	40 years	Must have passed Class VIII, qualification and experience of respective trade.
31.	Assistant rig Operator	18 years	40 years	Must have passed Higher Secondary (10+2 pattern) and three years' experience of respective trade.
32.	Rig Operator	18 years	40 years	Must have passed Higher Secondary (10+2 pattern), and three years' experience of respective trade.
33.	Driller	18 years	40 years	Must have passed Higher Secondary (10+2 pattern), and three years' experience of respective trade.
34	Assistant Grade-III	18 years	40 years	(1) Must have passed Higher Secondary (10+2 pattern) examination. (2) Certificate of Hindi Typing from the Madhya Pradesh Board of Shorthand and Typewriting; and (3) It is compulsory to pass computer examination from any of the following recognized institution- (i) Diploma from all universities recognized by U.G.C. (ii) Diploma from all open universities recognized by U.G.C (iii) Diploma Level examiniation from DOEACC. (iv) Diploma in modern office management from Government Polytecnic College.

	Name of post (2)	Prescribed age limit Minimum age (3)	Maximum age (4)	Educational, technical qualification and experience in the respective trade (5)
	Assistant Grade-II	18 years	40 years	(1) Must have passed Higher Secondary (10+2 pattern) examination. (2) Certificate of Hindi Typing from the Madhya Pradesh Board of Shorthand and Typewriting; and (3) It is compulsory to pass computer examination from any of the following recognized institution- (i) Diploma from all universities recognized by U.G.C. (ii) Diploma from all open universities recognized by U.G.C (iii) Diploma Level examiniation from DOEACC. (iv) Diploma in modern office management from Government Polytecnic College.
	Telephone Attendant	18 years	40 years	Must have passed Class VIII, qualification and experience of respective trade.
	Water Trolley man	18 years	40 years	Must have passed Class VIII, qualification and experience of respective trade.
	Filter Attendant	18 years	40 years	Must have passed Class VIII, qualification and experience of respective trade
9	Khansama	18 years	40 years	Must have passed Class VIII, qualification and experience of respective trade
0	Khallasi	18 years	40 years	Must have passed Class VIII, qualification and experience of respective trade.
1.	Kamgar	18 years	40 years	Must have passed Class VIII, qualification and experience of respective trade.
42.	Cleaner	18 years	40 years	Must have passed Class VIII, qualification and experience of respective trade.
43.	Chlorine Tester	18 years	40 years	Must have passed Class VIII, qualification and experience of respective trade.
44	Mali	18 years	40 years	Must have passed Class VIII, qualification and experience of respective trade
45.	Bill Distributor	18 years	40 years	Must have passed Class VIII, qualification and experience of respective trade
46.	Helper	18 years	40 years	Must have passed Class VIII, qualification and experience of respective trade
47.	Pump Attendant	18 years	40 years	Must have passed Class VIII, qualification and experience of respective trade.
48.	Sweeper	18 years	40 years	Must have passed Class VIII, qualification and experience of respective trade
49.	Waterman	18 years	40 years	Must have passed Class VIII, qualification and experience of respective trade
50	Valve-man	18 years	40 years	Must have passed Class VIII, qualification and experience of respective trade
51.	Chowkidar	18 years	40 years	Must have passed Class VIII, qualification and experience of respective trade

o.	Name of post	Prescribed age limit		Educational, technical qualification and experience in the respective trade
		Minimum age	Maximum age	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Oilman	18 years	40 years	Must have passed Class VIII, qualification and experience of respective trade.
3.	Lineman	18 years	40 years	Must have passed Class VIII, qualification and experience of respective trade.
4.	Lab Attendant	18 years	40 years	Must have passed Class VIII, qualification and experience of respective trade.
5.	Labour	18 years	40 years	Must have passed Class VIII, qualification and experience of respective trade.
6.	Mason	18 years	40 years	Must have passed Class VIII, qualification and experience of respective trade.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. ठाकुर, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.

विषय

लोक स्वास्थ्य एवं यात्रिंकी विभाग–अराजपत्रित सेवा भर्ती नियमो में संशोधन बाबत।

पूर्व पृष्ठ से:–

प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव/टीप दिनांक 11–04–11 के सबंध में स्पष्ट किया जाता है कि:–

कार्यभारित सेवा में कार्यरत कर्मचारियो को नियमित सेवा में पदोन्नति देने का प्रस्ताव मान्य योग्य नही है। कार्यभारित सेवा के कर्मचारियों की पदोन्नति कार्यभारित स्थापना के अन्य पदो पर इनके सेवा भर्ती नियमो के अनुसार ही की जाती है,अतः अनुसूची–दो के कालम 8 में किये गये इस आशय के प्रस्ताव से असहमति व्यक्त की जाती है।

2. आर्टिफिशर, सबआर्टिफिशर एवं सर्वेयर के पद यदि नियमित स्थापना में स्वीकृत है तो इनका समावेश भर्ती नियम की अनुसूची एक से चार में भी होना चाहिये। यदि यह पद कार्यभारित सेवा/समयपाल की स्थापना में स्वीकृत है तो इसे अनुसूची–चार से विलोपित किया जाये।

3. प्रशासकीय विभाग को यह भी समझाईश दी जाती है कि सामान्य प्रशा0 विभाग द्वारा अनुमोदित प्रारूप में अपने स्तर से कोई परिवर्तन न किया जाये। प्रारूप में प्रस्ताव पूर्ण विचारोपरांत सम्मिलित किया जाना चाहिये।इस प्रकार बार–बार संशोधन की अनावश्यक कार्यवाही होने से विलम्ब होता है।

(मान0राज्य मंत्री जी,सा0प्र0वि0 द्वारा अनुमोदित)

(कमला अजीतवार)
अवर सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग

लोक स्वास्थ्य एवं
यात्रिंकी विभाग